भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1073

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/ 4 श्रावण, 1943 (शक)

पुडुचेरी को केंद्रीय सहायता

1073. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की वार्षिक केंद्रीय सहायता राजस्व घाटे के अनुरूप उचित वृद्धि के बिना काफी लंबे समय से स्थिर बनी हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार केद्रीय सहायता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने उचित फार्मूले के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र के लिए केंद्रीय सहायता की न्यूनतम आवश्यकता पर कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की केंद्रीय सहायता में वार्षिक वृद्धि लगभग 4.5% है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 10% वृद्धि हुई थी।

पिछले 7 वर्षों के दौरान प्राप्त केंद्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**करोड़ रुपए में**	**वृद्धि** %
2015-16	1300.00	--
2016-17	1353.13	4.09
2017-18	1418.69	4.85
2018-19	1470.99	3.69
2019-20	1539.98	4.69
2020-21	1698.00	10.26
2021-22	1724.77	1.58

(घ) और (ड.): वित्त मंत्रालय द्वारा संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय सहायता हेतु किया गया वार्षिक आवंटन वार्षिक आवंटन अनुमानों/ व्यय रुझानों और संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है, जिनकी समीक्षा की जाती है और इसे संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा अनुमोदित अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

****